XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
02.09.2011		

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय
राजस्व पुनरीक्षण वाद सं0– 197/2002
(धारा 21 B.P.P.H.T Act अन्तर्गत)

डोमी यादव, पिता–स्व0 हुकुम लाल यादव, साकिन–मोहनियाँ, थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ .....
आवेदक

बनाम

1. राज्य
2. रवीन्द्र यादव, पिता–झबरू यादव, साकिन–मोहनियाँ, थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ .....
विपक्षी

आ दे श

आवेदक अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा वाद संख्या–44/2001–02 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि खाता संख्या–520, खेसरा संख्या–1916, रकवा–6 डिसमिल जमीन उनके दादा स्व0 भायजी गोप के नाम दर्ज था तथा दादा एवं पिता के स्वर्गीय होने के उपरान्त एकमात्र कानूनी वारिस आवेदक उपरोक्त जमीन पर दखलकार है। खतियान में उपरोक्त जमीन मकानमय सहन दर्ज है। विपक्षी ने राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन को मेल में लेकर गलत तरीके से उपरोक्त जमीन का पर्चा अपने नाम बनवा लिया। अंचलाधिकारी ने स्थल जाँच स्वंय न कर उपरोक्त कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत गलत प्रतिवेदन के आधार पर वैधानिक प्रकियाओं का पालन किये बगैर पर्चा निर्गत करने का आदेश पारित किया। पर्चा निर्गत करने के क्रम में आवेदक को भी सूचना नहीं दी गयी। इस प्रकार सम्पूर्ण आदेश विधि के विरूद्ध है। अतः आवेदक निवेदन करता है कि विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी की ओर से आवेदन प्राप्त नहीं है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 01.07.2011 को सुनवाई के समय मात्र आवेदक उपस्थित थे। विपक्षी अनुपस्थित रहे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि पूर्व में भी दिनांक 15.11.2010 एवं 28.03.2011 को विपक्षी अनुपस्थित रहे। इस कारण से इन दोनों तिथियों में न्यायालय द्वारा विपक्षी को अंतिम मौका देते हुए न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। इसके बाबजूद भी विपक्षी के द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं होना, उन्हें इस वाद में रूचि नहीं रहने का कारण दर्शाता है।

सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा बताया गया कि विपक्षी निश्चित रूप से प्रश्रय प्राप्त रैयत की कोटि में नहीं आते है। वे एक सरकारी कर्मी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा कोई सूचना निर्गत नहीं किया एवं अभिलेख में तामिला होने की कोई जिक्र नहीं है।

दिनांक 02.09.2011 को पुनः सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है एवं खारिज करने योग्य

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज किया जाता है। तद्नुसार इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ